


कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 2183-246 दिनांक 17/12/2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-8*1 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 2183-246 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियो सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी कांगड़ा, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड कांगड़ा जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसम्धारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड कांगड़ा, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	1- घणा	1-तरसूह	--	--				
	2-रतियाड	2-रजियाणा खास			1-धाना खारू	1-राजल	1-अन्सोली	1-कोहाला
	3-लंज खास	3-प्लेरा			2-भटेड़ वूसल	2-तकीपुर	2-नंदेहड	2-घुरकड़ी
					3-रूलोल	3-खोली	3-कठियारी	3-डानपुरी
					4-सोहड़	4-मटैर	4-रजियाणा 53मील	4-जोगीपुर
							5-बीरता	5-हलेडकलं
							6-भाटी	6-सदरपुर
							7-कुल्थी	7-दौलतपुर
							8-वलोल	8-हार जलाडी
							9-वालूगलोआ	9-जनयान कड़
							10-रानीताल	10-समेला
							11-गाहलियां	11-धमेड
							12-अपर लंज	12-चन्दरोट
							13-नंदरूल	13-चकवन घीष
							14-वोहड़क्वालू	14-भंगवार
							15-तरखानकड़ा	15-मोरठ जसाई
							16-अब्दुलापुर	16-डडोली
							17-झिक्ली इच्छी	17-ठाकुरद्वारा
							18-कन्दरेहड	18-चकवन समीरपुर
							19-तियारा	19-जम नाबाद
						20-ललेहड़	20-समीरपुर खास	


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21247-305 दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 25 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)-0/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला


पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21247-305 दिनांक

17/12/


2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दे अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (अ-सधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड लम्बागांव जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि दे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड लम्बागांव, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49	1-बाग कुलजां	1-हलेड़	---	---	1-भगेतर	1-बालकरूपी	1-आरुमपुर	1-बंदाहू
	2-बरडाम	2-कोटलू			2-चम्बी	2-बीजापुर	2-आशापुरी	2-बड
	3-ठण्डोल	3-मझेड़ा			3-नाहलना	3-जैसिहपुर	3-घनीरी	3-दगोह
	4-हरोट	4-पपलाह			4-तलवाड़		4-गंदड	4-धुपकियारा
	5-जगरुप नगर	5-रिट					5-जलेट	5-द्रम्मण
	6-जांगल	6-सोल बनेहड़					6-कंसरी	6-हारसी
	7-कुड़ंग	7-सुआ					7-कूहन	7-काथला
	8-सरी	8-अप्पर ठेहडू					8-लम्बागांव	8-जालग
	9-अप्पर लम्बागांव						9-मैला	9-कर्णघट
							10-मोलग	10-लाहडू
							11-मुंगल	11-मतियाल
							12-टम्बर	12-सकोह
								13-संघोल



उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21306-362 दिनांक 17/12/2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 37 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (ना0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नगरोंटा बगवां जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला


पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21306-362 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोंटा बगवां जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नगरोंटा बगवां जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस अशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पन करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	1-सरोत्री	1-अम्बाड़ी	---	---	1-लूहना	1-रुनेहड़	1-सुन्ही	1-खावा
	2-उस्तेहड़	2-सेराथाना			2-बग गुलेहड़	2-सुनेहड़	2-सदू	2-दनीआ
	3-चाहड़ी				3-मस्सल	3-फुन्डे	3-परला	3-कण्डी
					4-पटियालकड		4-जलोट	4-अमतर ड
							5-सरुट	5-नलां
							6-टोरु	6-उपरली मझोटली
							7-प्लाह चकलू	7-वलधर
							8-ब्राना	8-जसौर
							9-हटवास	9-कवाडी
							10-कलेड	10-ठारु
							11-रौखर	11-मूदला
							12-धलू	12-कोटी झिकली
							13-रिन	13-कीर चम्बा
							14-लिल्ली	14-सिहूड
							15-मुमता	15-पठियार
							16-घोडव	16-लाखा मण्डल
							17-स्लाह जन्द्राह	17-मुहालकड
					18-खटखास			



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21042-93 दिनांक

17/12

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-50780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21042-21093 दिनांक
प्रतिलिपि:-

17/12


2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राज्यत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड भवारना जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि व इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड भवारना, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	1-अरला	1-गोपालपुर	1-उपरला डाढ	1-कलूण्ड	1-सलोह	1-कस्बा जुगहड़	1-पुन्नर	1-धोरन
	2-फरेड़	2-दराटी	2-चंदपुर	2-बल्ला	2-सिद्धपुर सरकारी	2-भट्टू समूला	2-भवारना	2-रुमेहड़
	3-नछीर	3-घाड़	3-द्रोगणू	3-हंगलोह	3-लाहला	3-टमा	3-भड़गदार	3-डाढ झिल्ला
	4-लमलेहड़	4-मलाहू	4-जिया खास	4-मैझा			4-चचिय	4-बड़सर
							5-घनैटा	5-परौर
							6-दैहण	6-आरठ झिल्ली
							7-राख	7-कोठी पाहड़ा
							8-थला उआरला	8-बगोड़ा
							9-दरग	9-कुशमल भगोटला
							10-ठण्डोल	10-गदियाड़ा


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21363-427 दिनांक

17/12

2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा के ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

21363-427

दिनांक


17/12

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नगरोटा सूरियां जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नगरोटा सूरियां, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	1-डोल भटेड़	1-पददर	1-सिहुणी	1-अम्बल टेहड़ू	1-सकरी	1-भलाड़	1-सोलदा	1-जांगल
	2-गुलेर	2-पलोहड़ा	2-भाली	2-न्दांगल	2-भटेहड़	2-नरगाला	2-कोठी बण्डा	2-मसरर
	3-बासा	3-त्रिलोकपुर			3-धार	3-दनतुंगली	3-नन्दपुर भटौली	3-पनालथ
	4-कोटला	4-घाड़-2			4-स्पेल	4-अमलेला	4-रजोल	4-जरोट
	5-जरपाल	5-हार					5-नाणा	5-धंगड़
	6-ढन	6-भलू					6-धेवा	6-लुदरट
							7-जोल	7-गतुत्र
							8-बिलासपुर	8-फारियां
							9-लुधिय ड	9-कथौली
							10-नगरोटा सूरियां	10-बेहँ पठियार
							11-मरियाना	11-कुठेहड़
							12-नढोली	12-सुकनाड़ा
							13-हरसर	13-घाड़ बनेयाल
							14-खब्बल	14-लाहड़ू
							15-कटोरा	15-मतलाहड़
							16-कैहरियां	


उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला


कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 20966-21041 दिनांक

17/12/ 2020

“अधिसूचना”


हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड सुलह जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला


पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 20966-21041 दिनांक
प्रतिलिपि:-

17/12/ 2020

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-5 को दो अतिरिक्त प्रतियाँ नहित।
4. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी सुलह, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड सुलह जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड सुलह, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	1- कुरल	1- कुहाना (डैई)	-	-	1- जैद	1- दल्ला	1- वयारवां	1- भौरा
	2-हँजा	2- खडुल सोरनु			2- मालनू	2- लाहट	2- ननसिम्बल	2-वछवाह
	3-खैरा वलूही	3- खडौट			3- छैछड़ी	3-डरोह	3-चैकी	3-भदरोल्
	4-कौना	4-खास गगल			4- साम्दा	4-खैरा	4-सुलह	4-घर गा
	5-डूहक	5-सिहोल			5- झरेट	5-रैपुर	5-रोडा	5-डई
	6-थुरल (काना सुआं)	6-वाहे दा पट्ट					6-खडुहल (चंदड़ बमियाल)	6-देवी
							7-वोदा	7-बसकेहड़
							8-मरुह	8-रडू
							9-चम्बी	9-चौर
							10-जमूला	10-रडा
							11-बलोटा	11-पुडुवा
							12-सिहोट्ट	12-ककड़
							13-भौडा	13-मलकहड़
							14- ननाओ	14-गदियाडा
							15- गढ	15-गरला
							16- वारी	16-मूडी
							17- गगल	17-भ्राता
							18- पनापर	18-धम्मण लाहड
							19- कहनपट्ट	19-दैरघट
							20- थुरल खास	20-सन्हू
							21- बटाहन	21-स्पडुल
							22- बलोह	22-धीरा



 राकेश कुमार प्रजापति (भा.प्र.से.0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21544-604 दिनांक 17/12/ 2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)-0/2010-60780-311 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21544-604 दिनांक 17/12/ 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (अज्ञाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड नूरपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड नूरपुर, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	1-बदूही	1-जाछ	1-मिझग्रा	1-बागनी	1-चरुडी	1-कुलाहण	1-डन्नी	1-बास बजीरा
	2-पंदरेहड	2-हडल	2-गेही लगोड़		2-नगणी	2-खर्न उपरली	2-कोपडा	2-अनोह
	3-कमनाला	3-खेल			3-अघार	3-हटली जमवाल	3-खैरियां	3-कोटपलाहड़ी
	4-पंजाहड़ा	4-भडवार			4-मिलख	4-छतरेली	4-बरुही	4-सदवां
	5-पक्का टियाला	5-कण्डवाल					5-खन्नी झिकली	5-ग्योर
	6-रिट उपरली						6-जसूर	6-सुखर
							7-भलून	7-घनेटी गारला
							8-थोड़ा	8-सुल्यली
							9-लदोड़ी	9-लोहारपुरा
							10-औन्द	10-सिम्बली
							11-खज्जन	11-ममूह गुश्चाल
							12-भलेटा	12-हार्थीधार
							13-पुन्दर	13-नागाबाड़ी
							14-ठेहड़	14-बासा
						15-बरण्डा		


उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21428-498 दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-311 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

21428-498

दिनांक


17/12/

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0 शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड रैत जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड रैत, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	1-रक्कड़ का बाग	1-अनसूई	1-भनाला	1-कैरी	1-डढम्ब	1-घरोह	1-भितलू	1-अन्बाडी
	2-बसनूर	2-बैदी	2-मैटी	2-सददू	2-नागनपट्ट	2-लांङ्णी	2-बौडूसारना	2-बागडू
	3-गोरड़ा	3-भडीयाडा	3-हरनेरा	3-कजलोट	3-नेरटी	3-सराह	3-चढी	3-बन्डी
	4-हारबोह	4-भरुपलाहड़	4-सुधेड़		4-रजोल	4-ततवानी	4-दरीगी	4-भलेड
	5-मंझग्रां	5-कलियाडा			5-ठरु		5-दरगला	5-डे हब
	6-मनेई	6-प्रगोड़					6-ढुगियारी	6-हरचकियां
	7-मंझग्रां (लदवाडा)	7-झरेड़					7-कनल	7-रावा
	8-रछियालू						8-करेरी	8-कुठमां
							9-कुठरना	9-लपियाणा
							10-पलौथा	10-नकरोटी
							11-रैत	11-नूदला
							12-रेहलू	12-मेहरना
							13-रिडकमान	13-प्रेई
							14-रुलेहड़	14-सनोरा
								15-रि-हुम्बा
								16-ठेहड



 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21499-543 दिनांक 17/12/ 2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-ए0780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (ना0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड पंचरुखी जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (ना0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21499-543 दिनांक 17/12/ 2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को वा अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन समग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी पंचरुखी, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड पंचरुखी जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जननाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड पंचरुखी, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	1- व्याड़ा	1-भिरड़ी	1- पढियारखर	1- रलिय णाखास	1- अन्द्रेटा	1-रक्कड भेडी	1- भरवाना	1- अगोजर
	2-चढियार	2-भुआणा			2-रजेट	2-तरहल	2- वंडू	2-वदेहड
	3-दियोप्रां	3-छक			3-अप्पर रजोट		3-चन्द्रोपा	3-भुलाना
	4-जण्डपुर	4-सलेहरा					4-गदियाड़ा	4-सिम्बल खोला
	5-मोलीचक	5-दुग					5-लदेह	5-सिम्बल
	6-सगूर	6-कैलाशपुर					6-नौर झिकर्ट	6-टटैहल
	7-टिक्कर खास	7-मकोल					7-सुंगल	7-वण्ड विहार


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21778-866 दिनांक

17/12/

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 37 व रूचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

21778-866

दिनांक

17/12/

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (अन्नाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा में
ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	1-गुरनवाड़	1-सेहरी	---	---	1-गरली	1-ढौण्टा	1-प्रागपुर अप्पर	1-पुननी
	2-रिडी कुटेड़ा	2-चपलाह			2-हलेड़	2-चनौर	2-बगली	2-समनोली
	3-कोटला बेहड़	3-कस्वा जागीर			3-ढठरा	3-नाहन नगराटा	3-घमरुर	3-बैह
	4-चौली	4-अप्पर भलवाल			4-सुनहेट	4-कौलानुर	4-कटोह टिक्कर	4-दोदू राजपूता
	5-मनियाला	5-लग			5-गोराल्धर	5-कनौल	5-बाड़ी	5-कुड़ना
	6-रैल	6-पीर सलूही			6-न्याड़	6-कूहन	6-लडियाड़ा	6-घाटी
	7-बलियाणा	7-अमरोह					7-चुधरेहड़	7-मूर्ही
	8-दयाल	8-भरोली जदीद					8-बढल	8-स्वाणा
	9-चलाली	9-उड़े खास					9-नंगल चौक	9-बडा
	10-कड़ोआ	10-गुडारा चपलाह					10-नारी	10-जन्डोर
							11-अलोह	11-मुनेड़
							12-घियोरी	12-शातला
							13-निचला भलवाल	13-नलेटी
							14-जम्बल	14-बरसी
							15-त्यामल	15-धजाग
							16-डाडासीब	16-प्रागपुर
							17-नलसूहा	17-दोदरा
							18-कलोहा	18-बीहण
							19-बणी	19-रोड़ी कोडी
							20-रक्कड़	20-सियूल
							21-ढलियारा	21-बदूह
							22-कस्वा कोटला	22-सरड़ डोगरी
							23-हार	23-टिप्परी
							24-गगोट	



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21605-680 दिनांक

17/12

2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 37 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (ना0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (ना0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला


पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21605-680
प्रतिलिपि:-

दिनांक


17/12

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-3 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सानग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड फतेहपुर जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड फतेहपुर, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन- जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	1-बनोली खास	1-बगड़ोली	---	---	1-बाड़ी	1-कुटवाली	1-बरोट	1-वरुणा
	2-डक	2-चकवाड़ी			2-मनोह सिहाल	2-पट्ट जाटियां	2-चलवाड़ा-1	2-नरमाड़
	3-खरोटा	3-भाटियां			3-रे	3-स्थान	3-चलवाड़ा-2	3-हाड़ा
	4-पोलियां	4-झौंका रतियाल			4-हटपंग	4-ढसोली	4-धनेटा	4-जगनोली
	5-सिद्धपुरघाड़	5-सुनेट			5-रैहन-1	5-नेरना	5-दियाना	5-झुम्बखास
	6-लुठियाल	6-सुनहारा					6-फतेहपुर	6-खटियाड़
							7-हडवाल	7-कुड्डल
							8-हरनेटा	8-लोहार
							9-हटली	9-फछोट
							10-जखाड़ा	10-मैरा
							11-बट्ट	11-नगाल
							12-समकेहड	12-नंगल
							13-ठेहड़	13-पपाहन
							14-टटवाली	14-टकोली घिरथा
							15-लरथ	15-भोलखास
							16-गुरियाल	16-समलेट
							17-रियाली	17-छतर
							18-डूहक	18-खेहर
							19-लरहूं	19-छतर जोनियां
							20-रैहन-2	20-मिन्ता
							21-तलाड़ा	21-कन्दौर
							22-बतराहन	22-गोलवां



 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21681-740 दिनांक 17/12/2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/2010-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21681-740 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड बैजनाथ जिला कांगड़ा हि0प्र0, को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायतें	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	1- मझोटी	1-कुकेना	1-घोडपीठ	1-नैण	1-टिकरी डूहकी	1-मझरना	1-पंजाला	1-संसाई
	2-मढेड	2-दयोल	2-हरेड	2-धानग	2-चण्डिया	2-रजहड	2-कन्दाल	2-कोठी
	3-चौबीन	3-धरेड	3-भट्टू	3-माधोनगर	3-महाकाल	3-फटाहर	3-सकई	3-गदिय-डा
	4-नरघोड चौवू	4-क्योरी	4-गुनेहड	4-सुनपुर	4-कुंसल	4-महालपट्ट	4-धरमाप	4-वही
	5-पोलिंग	5-ननाहर					5-संसाल	5-स्पेडू
	6-भेट झिकली	6-लुआई					6-कोठी कोहड	6-यीड
	7-सेहल						7-स्वाड	7-वडाभंगाल
							8-मुलथान	8-कुदेल
							9-वडाग्र	9-कण्ड
							10-चौगान	10-खडानाल
							11-अवैरी	



 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21741-777 दिनांक 17/12/2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 67 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)0/2010-60780-3*1 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला के विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा के ग्राम पंचायत के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।



राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21741-777 दिनांक 17/12/2020
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
2. सचिव, पंचायती राज विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2 की सेवा में सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दृ. अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
7. खण्ड विकास अधिकारी धर्मशाला, जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव, ग्राम पंचायत विकास खण्ड धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0प्र0 को अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020, विकास खण्ड धर्मशाला, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान के पद के आरक्षण का विवरण								
कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1- पद्धर	1-तंगरोटी खास	1-अन्द्राड	1-भत्तला	1-ढगवार	1-रसेहड़	1-रक्कड	1-सोकणी द लोट
	2-शीला भटेड़	2-टंग नरवाणा	2-कण्ड करडियाना	2-सुक्कड़	2-तंगरंटी	2-मनेड़	2-नरवाणा खास	2-झियोल
							3-कनेड़	3-न्दल
							4-वगली	4-वरवाला
							5-गगल	5-चैतडू
							6-वल्ला जदरांगल	6-दाघनी
							7-टउ	7-जतेहड पासू
							8-जूहल	


 राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
 उपायुक्त,
 कांगड़ा स्थित धर्मशाला


कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन-21094-182 दिनांक

17/12/2020

“अधिसूचना”

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए(1)10/201C-6078C-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त
प्रतिलिपि:-

21094-182

दिनांक

17/12/


2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दे अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड देहरा जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकारु खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा में ग्रान पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	1-ठठलेहड़	1-धुरकाल	---	---	1-जलंधर लाहड़	1-भटेड़बात्ता	1-टिप	1-कमलोटा
	2-मयोल	2-रजोल			2-धनोट	2-नेहरवां	2-शिवनाथ	2-गहलियां
	3-गुगाणा	3-सुराणी			3-घेड़	3-खबली	3-लगडू	3-बनखण्डी
	4-उम्मर	4-मूहल			4-अलूहा	4-थिल	4-धतेड़	4-बगोली
	5-हडोली	5-भटोली फकोरियां			5-सिलह	5-भाटी बंहन	5-झकतेहड़	5-हरिपुर
	6-फकेड	6-सलिहार			6-सिहोरपाई	6-सकड़िय लू	6-कोपडा	6-खुण्डियां
	7-खेरियां	7-दरंग					7-बलरू दरकाट	7-न हलियां
	8-ठाकुरद्वारा	8-भडोली					8-महेवा	8-पुखरू
	9-बग						9-डेहरू	9-पैहड़ी
							10-अध्वानी	10-टिपरी
							11-कथांग	11-दरीण
							12-शेर लुहारा	12-टिहरी
							13-घलर	13-डोहग देहरियां
							14-धवाला	14-चरना
							15-अम्ब पठियार	15-छेलगा
							16-बौगता	16-चलोड़ा
							17-हिरन	17-नुथान
							18-मझीण	18-बारी कला
							19-सिवालकड़	19-कल्लर
							20-डेल खरियान	20-नौशहरा
							21-हरदीपपुर	21-बाड़ी खास
							22-गुम्मर	22-गईसा खास
							23-जरुण्डी	23-सिहोटीखुर्द
							24-बरोग लाहड़	24-जखोट
							25-डोहग पलोटी	25-त्रिपल


उपायुक्त,

कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।


संख्या-पंच-के0जी0आर0-निर्वाचन- 21867-929 दिनांक

17/12/

2020

"अधिसूचना"

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125 व तत्सम्बन्धी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) संशोधित नियम 1994 के नियम 87 व सचिव, पंचायती राज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी पत्र संख्या: पीसीएच-एचए 1)1C/201C-60780-811 दिनांक 24.09.2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा की ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों का आरक्षण संलग्न सूची अनुसार निर्धारित करता हूँ।


राकेश कुमार प्रजापति (भा0प्र0से0)
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पृष्ठांकन संख्या-उपरोक्त 21867-929
प्रतिलिपि:-

दिनांक

17/12/

2020

1. मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
2. सचिव पंचायती राज विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला की सेवा में सूचनार्थ।
3. निदेशक एवं विशेष सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0, शिमला-9 को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग हि0प्र0 शिमला-2 को सूचनार्थ।
5. उप-नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हि0प्र0 शिमला-5 को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त उप-मण्डलाधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को सूचनार्थ।
7. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला को सूचनार्थ।
9. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला को प्रकाशन हेतु।
10. समस्त सचिव ग्राम पंचायत, विकास खण्ड इन्दौरा जिला कांगड़ा हि0प्र0, द्वारा खण्ड विकास अधिकारी अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ इस आशय सहित कि वे इसे ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर जनसाधारण से सूचनार्थ चस्पान करना सुनिश्चित करें।
11. नोटिस बोर्ड उपायुक्त/जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला।


उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य निर्वाचन, 2020 के अन्तर्गत विकास खण्ड इन्दौरा, जिला कांगड़ा में ग्राम पंचायत प्रधान पद के आरक्षण का विवरण

कुल ग्राम पंचायत	अनुसूचित जाति महिला	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जन-जाति महिला	अनुसूचित जन-जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग महिला	अन्य पिछड़ा वर्ग	महिला	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1-बडूखर	1-भोग्रवां	---	---	1-रप्पड़	1- डम्ताल	1-पलाख	1-टप्पा
	2-लोधवां	2-घोड़न			2-नाजरा	2-राजखासा	2-डैकवां	2-अटाहड़ा
	3-डाह कुलाड़ा	3-भलाख			3-तौकी	3-चनौर	3-गगवल	3-गंगथ
	4-मलाहडी	4-सूरजपुर			4-नप्पू	4-ठालुरद्वारा	4-भदरोआ	4-छन्नी
	5-दीणी खास	5-सनौर			5-मंगवल	5-चलोह		
	6-उलैहरियां	6-घंडरां			6-डागला	6-बलीर		
	7-बकराड़वां	7-मीलवा			7-मंदोली	7-शेखपुर		
					8-बेली नहंता	8-काठगढ़		
					9-सैरत	9-इन्दौरा		
					10-मोहटली	10-कप्रेडी		
					11-कुड़सां	11-गदराणा		
					12-इन्दपुर	12-मकड़ोली		
					13-सुरडवां	13-घेटा		
					14-मलकाना	14-बसंतपुर		
					15-पराल	15-मण्ड नियार्ण		
					16-बरोटा			



उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला